भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 319
(जिसका उत्तर सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है)

चुनावी बॉण्ड योजना

319. श्री मनीश तिवारी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने चुनावी बॉण्ड की छपाई पर होने वाली लागत सहित चुनावी बॉण्ड योजना के संचालन पर कितना धन व्यय किया है;

(ख) खरीदे गए चुनावी बॉण्ड के कुल मूल्य का ब्यौरा क्या है और चुनावी बॉण्ड की खरीद पर लगाए गए जीएसटी या किसी अन्य कर/उपकर के माध्यम से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है; और;

(ग) भारतीय स्टेट बैंक से चुनावी बॉण्ड खरीदने वाले दानदाताओं को किसी भी सेवा शुल्क (कमीशन) का भुगतान करने से छूट देने और इसके बजाय चुनावी बॉण्ड योजना को इस की छपाई सहित सक्षम करने की लागत को कवर करने के लिए सरकार और करदाताओं पर बोझ डालने का क्या औचित्य है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) चुनावी बॉण्ड योजना के संचालन पर सरकार द्वारा खर्च की गई राशि, जिसमें चुनावी बॉण्ड की छपाई के लिए खर्च की गई लागत शामिल है, नीचे दी गई है:

(i) भारत सरकार द्वारा चरण I से चरण XXV तक चुनावी बॉण्ड जारी करने और भुनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को लगभग 8.57 करोड़ रूपये की राशि का कमीशन के रूप में भुगतान किया गया है।

(ii) भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) को अब तक लगभग 1.90 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक से खरीदे गए चुनावी बॉण्ड का कुल मूल्य (चरण- I से चरण-XXX तक) लगभग 16,518 करोड़ रुपये है। चुनावी बॉण्ड की खरीद पर क्रेता से कोई जीएसटी या कोई अन्य कर/उपकर नहीं लिया जाता है।

(ग) चुनावी बॉण्ड योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उचित बैंकिंग चैनल के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग की प्रणाली में स्वच्छ कर संदत्त पैसा आ रहा है। चुनावी बॉण्ड योजना (दिनांक 02.01.2018 की राजपत्र अधिसूचना) के खंड 10 के अनुसार, बॉण्ड की खरीद के अंतर्गत खरीदार द्वारा बॉण्ड जारी करने के लिए कोई कमीशन, ब्रोकरेज या कोई अन्य शुल्क देय नहीं होगा।

*****